आदेश जारी किए जाने के कारण राख नियंत्रण प्रणाली का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मुख्य उपस्कर सप्लाई-कर्ताओं और परियोजना प्राधिकारियों सहित सम्बन्धित एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श से परियोजना के निर्माण कार्यों की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है और जहां सम्भव होता है, परियोजना हेतु निवेशों को समय पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं। 210 मे०वा० के प्रथम यूनिट को 1992-93 में तथा दूसरे यूनिट को 1993-94 में चालू किए जाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इस विद्युत केन्द्र के इसके चालू होने पर 420 मे वा० को प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त होगी।

बोधघाट जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान किया जाना

1124. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री 27 मार्च, 1989 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2867 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बोधघाट जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 209.3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 4×125 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाली बोधघाट जल विद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति 16.11.78 को तथा योजना आयोग द्वारा निवेश सम्बन्धी स्वीकृति 24.2.79 को दी गई थी। परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय स्वीकृति तत्कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनवरी, 1979 में और पुनः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा फरवरी, 1985 में दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस परियोजना हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। राज्य सरकार से उक्त सूचना प्राप्त होने के बाद वन स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर कार्यवाही की जाएगी।

उप बिजलीघरों को वित्त प्रदान करने की योजना

1125. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से 132 किलोवाट के उप बिजलीघरों को वित्त प्रदान किये जाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिए गए दिशानिर्देश क्या हैं और उन उप बिजली घरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का इसी प्रकार का कोई प्रस्ताव लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसको कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) 132 के०वी० उप-केन्द्रों का वित्त-पोषण ग्राम विद्युतीकरण निगम तथा विद्युत वित्त निगम दोनों ही द्वारा किया जाता है। मार्च, 1990 में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे 132 के०वी० उप-केन्द्र जो कि मुख्यतः

ग्रामीण क्षारों की पूर्ति करते हैं, इनका वित्त-पोषण ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा किया जाएगा तथा शेष का वित्त-पोषण विद्युत वित्त निगम द्वारा किया जाएगा ।

मार्च, 1990 से ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत किए गए इस प्रकार के उप-केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	राजस्थान	2
3.	उड़ीसा	4
4.	उत्तर प्रदेश	6
		14

मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का ऐसा कोई प्रस्ताव ग्राम विद्युतीकरण निगम में लम्बित नहीं है।

Clearance of Hydel Power Projects

1126. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of Hydel Power Projects in various States are pending for clearance with the Central Government;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what steps are being taken by Government to exploit the hydel potential for power projects in all the States?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) 41 Hydro-electric schemes with an aggregate installed capacity of about 7426.6 MW have been cleared by the Central Electricity Authority and are awaiting investment decision. 31 schemes with an aggregate installed capacity of about 1946.6 MW are under various stages of techno-economic examination.

(c) Efforts are being made to increase the hydro thermal mix to 40 : 60. About 144 hydro projects with an aggregate capacity of 23753 MW are under execution. 89 projects with a capacity of 15239 MW have been sanctioned. 41 projects with a total capacity of 7426.6 MW have been cleared by the Central Electricity Authority and are awaiting investment approval. Funds are provided under various schemes to States for investigating new projects. Also, it has recently been notified that projects under Rs. 25 crores may be taken up by the States without CEA's clearance. Efforts are also being made to exploit the potential for small, mini and micro hydel projects.

Irregularities in the Delhi Energy Development Agency

1127. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to states:

(a) whether the Comptroller and Auditor General of India has found serious irregularities in the affairs of Delhi Energy Development Agency for harnessing and introducing non-conventional sources of energy;

(b) if so, what are the details of the irregulaties pointed out by CAG;

(c) whether Government have since contemplated steps to effect improvement in the generation of energy through non-conventional sources, so far;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) the reasons for not introducing several schemes already sanctioned in this behalf?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) While test checking in audit the records